

21-6-17

पत्रावली के... सीडिया... को पेश हुई।
आगामी दिनांक... 1.9.17... को पेश है।

09-9-17

पत्रावली पेश हुई। वकील कादिशा उपस्थित। P-0-का
राजनीय कार्य के बाद पत्रावली पेश की। वस्तु कादेरा
वादी के पत्रावली दिनांक 24-11-17 को पेश है। B.O.

24-10-17

पत्रावली पेश हुई। वकील कादिशा उपस्थित। वकील
कादिशा साक्षात् प्रस्तुत नहीं कर सका है। वकील कादिशा
की साक्षात् केद की जाती है। वस्तु कादेरा है। पत्रावली दिनांक
24-10-17 को पेश है। B.

24-10-17

24-10-17 को पेश है। B.

31-11-17

पत्रावली पेश हुई। वकील कादिशा उपस्थित। वकील कादिशा
ने लिखित कदम दस्तावेज पेश किए। जिक्र साक्षि
पत्रावली निवेदन जर्ज। वस्तु कादेरा है। पत्रावली दिनांक
14-11-17 को पेश है। B.

14-11-17

पत्रावली पेश हुई। वकील कादिशा उपस्थित। P-0-का
राजनीय कार्य के बाद पत्रावली पेश की। वस्तु कादेरा है।
पत्रावली दिनांक 24-11-17 को पेश है। B.O.

24-11-17

पत्रावली पेश हुई। वकील कादिशा उपस्थित। P-0-का
वाक पत्र अन्तर्गत चारा 88, 89 एवं 188 RTA.
के लक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार
हलका सिडियास की जमाबन्दी स: 2071-74
खेवाला स: 259 के आराजी नम्बर 339, 356
357, 360, 799, 804, 806, 807, 812
11-06, 01-01, 2-03, 0-12, 0-07, 1-02, 1-19
कुल किला-9 रकबा 19-15 बीघा व जमाबन्दी
स: 2071-74 के खेवाला स: 260 के आराजी
नम्बर, रकबा 359, किला 1 रकबा 5-17 बीघा
व जमाबन्दी स: 2071-74 के खेवाला स: 285

उपस्थित अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा

के आराजी नम्बर 805, 929, कुल किला
0-05, 0-04

2 रकबा 0-09 बीघा ग्राम का खेवाला का
नामान्तकरण स: 33 दिनांक 7-11-1977 को वादीया
के हक हिस्से के मुकाबले मुन्य घोषित किया
जाकर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तित करने के साथ
वादीया का अंकन किया जाने का निर्देश
किया।

वकील कादिशा उपस्थित। प्रकरण में पूर्व दिनांक
16-8-2016 को प्रतिवादी स: 6 के विरुद्ध
एक तरफ कार्यवाही के आदेश पारित कर
दिये गये थे। प्रकरण में वादीया ने साक्ष्य
सिद्ध लिखित बहस प्रस्तुत पेश की।
लिखित बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों
के आधार पर मनन किया गया।

अतः ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका
सिडियास की जमाबन्दी स: 2071-74 खेवाला
स: 259 के आ: न: व रकबा 339, 356,
357, 360, 799, 804, 806, 807,
11-06, 01-01, 2-03, 0-12, 0-07, 1-02,
812 कुल किला-9 रकबा 19-15 बीघा व
1-19 जमाबन्दी स: 2071-74 के खेवाला स: 260
के आ: न: व रकबा 359, किला 1 रकबा

5-17 बीघा व जमाबन्दी स: 2071-74
के खेवाला स: 285 के आ: न: 805, 929
0-05, 0-04

कुल किला 2 रकबा 0-09 बीघा ग्राम में
वादीया का नाम हक हिस्से अनुसार राजस्व
रेकार्ड में अंकन किया जाने का आदेश
दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी
है। रकबा करिकेन अथवा उपका व हक
कर। निर्दिष्ट स: के खेवाला स: 260 का
पत्रावली के साथ आगामी दिनांक 1-9-17
से कम पेश।

उपस्थित अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा